

1938

आवेदन पत्र को रिपोर्ट भूमापनी संख्या / आवंटितपत्रावली संख्या के आधार पर जांच की गई। निम्नलिखित अनुसार  
 आवंटितपत्रावली संख्या 2075-78 के आधार पर 103, 126 के अंशों में आवंटित है।  
 आवंटितपत्रावली संख्या 2075-78 के आधार पर 103, 126 के अंशों में आवंटित है।  
 आवंटितपत्रावली संख्या 2075-78 के आधार पर 103, 126 के अंशों में आवंटित है।

राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विधेय है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन  
 का नाम सुकरत किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदन का नाम सुकरत किये जाने की अधिराजा की जाती है / नहीं  
 की जाती है।

सुकरत किया जाना उचित है

4/12/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला मुंशुनू (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :- 4/12/2021

प्रार्थी के "खाता बुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0)  
 उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व  
 रिकार्ड में अमल दराभद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	इ-हपुरा	2075-78	103, 126	खोटीदेवी फानि डूंगाराम फारि माली	खोटीदेवी फानि डूंगाराम फारि माली

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 4/12/21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1938

लिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी  
 क्रमांक/भू.अ./ 21/06 दिनांक 04.12.21

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

मूल ही पटवारी हत्का इ-हपुरा को भेजकर लेख है। कि मुताबिक लिख पत्र/धक

नाम सुकरत के निम्नानुसार नामान्तरण दर्ज कर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें

तहसीलदार (भू.अ.)

